उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–8
सं0. 332 /2016/ 19(120) /XXVII(8)/2012
दिनांकः: देहरादूनः: 25 अप्रैल, 2016

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम सं0 27, वर्ष, 2005) की धारा 23 की उपधारा (1) तथा धारा 35, सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम सं0 1, वर्ष 1904) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके सहर्ष आदेश देते हैं कि उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर नियम, 2005 के नियम 11 में किसी बात के होते हुए, कर के लिए दायी ब्यौहारी अथवा स्रोत पर कर कटौती करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा करनिर्धारण वर्ष 2015–16 से संबंधित 31 मार्च को समाप्त होने वाले चतुर्थ त्रैमास की सावधिक विवरणी, 31 मई, 2016 तक बिना विलम्ब शुल्क के दाखिल की जा सकती है, किन्तु कर/समाधान राशि अथवा टी0डी0एस0 का भुगतान नियम 11 में विनिर्दिष्ट समय के अन्दर ही किया जायेगा।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव

सं0. 332(1)/2016/19(120) /XXVII(8)/2012 तद्दिनांक।
प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–
1–आयुक्त, कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि वे अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अवगत करा दें।
2–निदेशक, मुद्रण एंव लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रूड़की जिला हरिद्वार को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियॉ इस आशय से प्रेषित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100–100 प्रतियॉ वित्त अनुभाग–8 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।
3–भाषा अनुभाग, उत्तराखण्ड सचिवालय।
4–सलाहकार 'कर', उत्तराखण्ड शासन।
5–एन0आई0सी0
6–गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

(हीरा सिंह बसेड़ा)
अनुसचिव

Scanned by CamScanner